तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर

सेशन प्रकरण संख्या- 16/2022

सरकार बनाम मदीना बानो

दिनांक-24.11.2025

अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। अभियुक्ता मदीना बानो की हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता श्री कपिल दहिया पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की गयी। परिवादी के अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। साक्षी अभिषेक शर्मा उपस्थित जिसकी मुख्य परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 207 सीआरपीसी पेश किया गया जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी को दिलवायी जाकर बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा अपने आवेदन में दिनांक 26.04.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर सीडी की नकल उसे प्राप्त हो जाने लेकिन पैन ड्राइव व धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम की नकल उसे नहीं प्राप्त होने का कथन करते हुए उपर्युक्त पैन ड्राइव व धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिलवायी जाने का निवेदन किया गया है जबकि अधिवक्ता परिवादी व अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किये जाते समय समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रार्थी को दिलवायी जा चुकी होने से हस्तगत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मूल रूप से प्रार्थी द्वारा सीडी पेश की गयी थी जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थी को प्राप्त होना एक स्वीकृत तथ्य है तथा न्यायालय द्वारा उस सीडी में अंतर्वल्लित तथ्यों के संबंध में ही पैन ड्राइव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था अर्थात् सीडी व पैन ड्राइव में कोई भिन्न तथ्य नहीं हैं बल्कि सीडी में अंतर्वल्लित तथ्य ही पैन ड्राइव में लिये जाकर पृथक् से प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में सीडी व पैन ड्राइव की प्रारंभिक भिन्नता होने मात्र से पैन ड्राइव की प्रतिलिपि पृथक् से दिलवाया जाना आवश्यक नहीं पाया जाता है किन्तु धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को दिलवाया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 207 सीआरपीसी आंशिक रूप से स्वीकार कर धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिनांक 20.06.2023 की प्रतिलिपि अधिवक्ता अभियुक्त को दिलवाये जाने का आदेश दिया जाता है। अपर लोक अभियोजक द्वारा जाहिर किया गया कि उनके पास मूल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली से उपर्युक्त दस्तावेज की प्रतिलिपि तैयार कर अधिवक्ता अभियुक्त को

24.11.2025

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

प्रदान करने हेतु संबंधित लिपिक को आदेशित किया गया जिसकी पालना में प्रतिलिपि अधिवक्ता अभियुक्त को उपलब्ध करवायी गयी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दस्तावेज आज ही प्राप्त होने के आधार पर प्रतिपरीक्षा हेतु समय चाहा गया तथा साक्षी द्वारा जाहिर किया गया कि इस सप्ताह उसकी अन्य पत्रावलियों में साक्ष्य होने से अगले सप्ताह की तारीख नियत की जावे, ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 02.12.2025 को नियत की जाती है। साक्षी को उपर्युक्त दिनांक पर वैयक्तिशः/वीसी से उपस्थिति के लिए पाबंद किया जाता है।

24.11.2025